

21/04/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी
के अधिवक्ता को बार-बार आवाज
डिलानी गयी। जो टाजिल नहीं है।
अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी
में वाड खारिज किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम हो। वाड जामा
कार्रवाही दायिल दफ्तर हो।

(दमयन्ती कंवर)

उपस्थान अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

